न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/16/2021 जीसीएमएस नं0 2021/20

प्रवेश तिथि 11.02.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भीखाराम, निवासी ग्राम–पोस्ट बर्डोद, बहरोड़, तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0–301020		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17.03.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.01.2021 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रत्यर्थी विभाग का पत्रांक 4200 दिनांक 03.12.2011 जो श्रीमान जिला कलक्टर सतर्कता अलवर को प्रेषित किया गया था, से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 04.01.2021 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 09.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/117–118 दिनांकः 11.02.2021 के माध्यम तलब कर दिनांकः 18.02.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा स्मरण–नोटिस पत्रांक कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/2021/134–135 दिनांक 19.02.2021 के माध्यम से जवाब तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। अभिलेख पर लिया गया। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया। P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उनके पत्रांक लोक सूचना/2021/741 दिनांक 02.03.2021 के माध्यम से अपना जवाब पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील व प्रत्यर्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग के जवाब पत्र के संलग्नक पत्रांक लोक सूचना/2021/647 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा जो विनिश्चय किया गया है वो उचित प्रतीत नहीं होता है।
7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांकः 04.01.2021 में वांछित सूचना अपने कार्यालय में अविलम्ब तलाश कर अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे।
8. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदकों को सहज भाव से सूचना प्रेषित की जावें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)